INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary Peer Reviewed

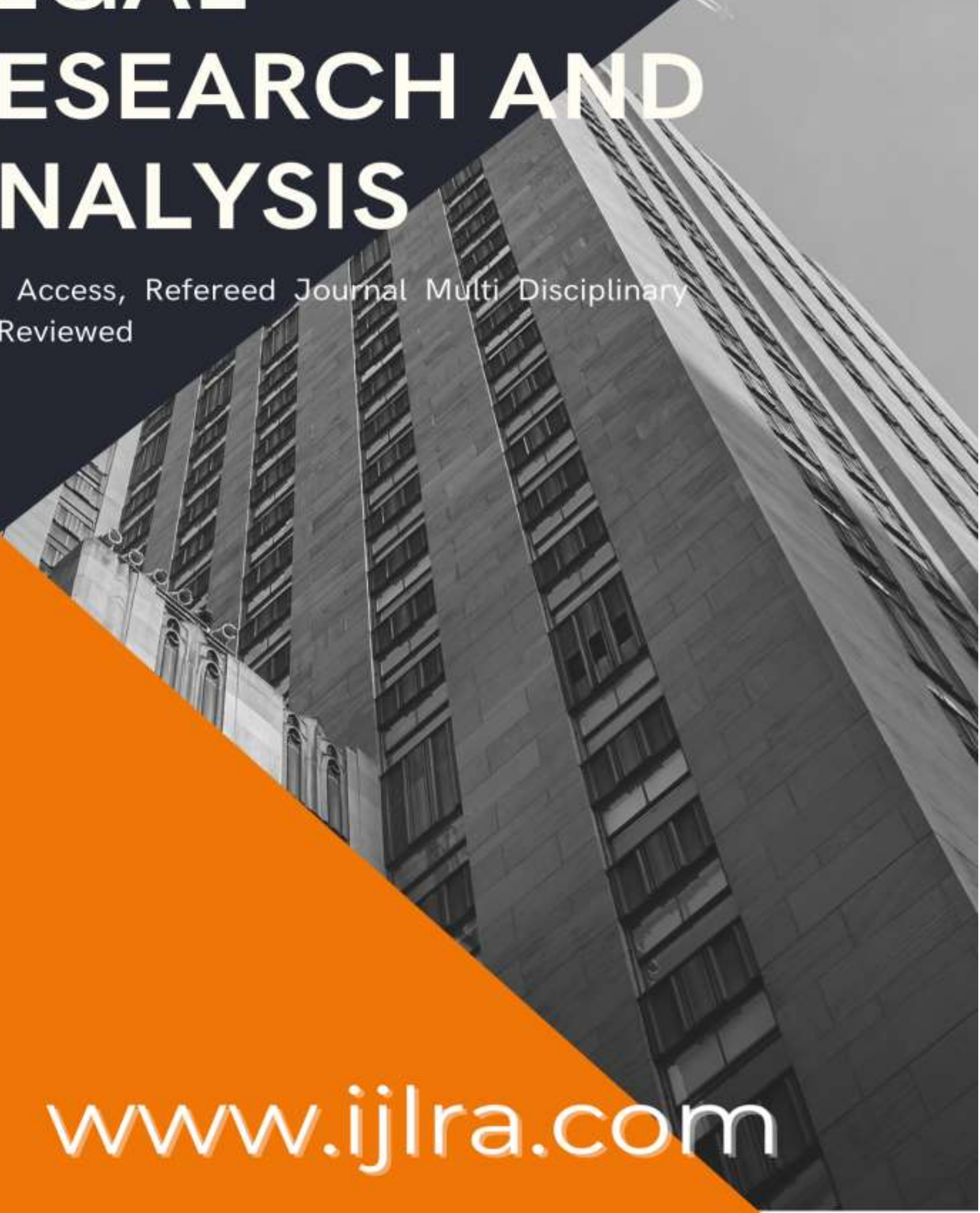

www.ijlra.com

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in theJournal.

IJLRA

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur.Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India.India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time &Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

ISSN: 2582-6433

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi.Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship.He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi.Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi.He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN
2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

ISSN: 2582-6433

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध

सेज विश्वविद्यालय, इंदौर

एलएल.एम. (संवैधानिक विधि) उपाधि

की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

प्रस्तुत शोधप्रबंध

निर्देशक

प्रोफ़ेसर डॉ. विशाल शर्मा

(HOI)

प्रस्तुतकर्ता

माया

24LAW4LLM0008

ILLS सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

प्रो. डॉ.विशाल शर्मा

एच. ओ. आई.

इंस्टीट्यूट ऑफ़ लॉ एंड लीगल स्टडीज

www.sageuniversity.in

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध;

1. प्रस्तावना...
2. लैंगिक अपराधों की परिभाषा...
3. लैंगिक अपराधों के प्रकार....
4. लैंगिक अपराधों के कारण...
5. लैंगिक अपराधों के प्रभाव (मानसिक, सामाजिक, शारीरिक).....
6. सामाजिक भूमिका.....
7. विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी
8.लैंगिक अपराधों के शिकार बालकों पर प्रभाव..
9. बालकों को जागरूक करने के उपाय......
10. भारत में बाल संरक्षण कानून...
11. लैंगिक अपराधों की रोकथाम और सुधार
12. निष्कर्ष

IJLRA

ISSN: 2582-6433

1. प्रस्तावना

बालक किसी भी समाज और देश का भविष्य होते हैं। उनका सुरक्षित और स्वस्थ विकास बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज के समय में बहुत से बच्चे तरह-तरह के अपराधों का शिकार हो रहे हैं – जैसे कि मारपीट, बाल मज़दूरी, यौन शोषण, उपेक्षा और तस्करी आदि। यह अपराध उनके शरीर, मन और भविष्य पर बुरा असर डालते हैं।

बालकों के यौन शोषण की रोकथाम हेतु प्रभावी कानून, न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक जागरूकता, और पारिवारिक सहयोग आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा लागू POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण विधिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य बालकों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना तथा दोषियों को दंडित करना है।

बालकबालकों के विरूद्ध योन अपराध

वर्तमान समय में लैंगिक अपराधों की बढ़ती घटनाएँ समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। विशेषकर जब ये अपराध बालकों के विरुद्ध होते हैं, तो उनकी संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, मानसिक और सामाजिक संरक्षण भी आवश्यक है। यदि बाल्यावस्था में उसे यौन शोषण जैसी किसी घटना का सामना करना पड़ता है, तो उसका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो सकता है'।

भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए कानूनी उपाय, शैक्षिक जागरूकता, और सामाजिक सहयोग को एकीकृत करना अत्यंत आवश्यक है। POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधिक प्रयास है, जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

2. लैंगिक अपराधों की परिभाषा

जब कोई आदमी या औरत किसी के साथ जबरदस्ती यौन (संभोग या शारीरिक छेड़छाड़ से जुड़ा) व्यवहार करता है, या उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाता है, तो ऐसे काम "लैंगिक अपराध" कहलाते हैं।

बाल यौन शोषण - किसी भी रूप में शारीरिक संपर्क या अवांछनीय यौन गतिविधि में बालकों को सम्मिलित करना।

ऑनलाइन उत्पीड़न- डिजिटल माध्यमों के द्वारा बालकों को अश्लील सामग्री भेजना या उनसे अनुचित व्यवहार करना।

शारीरिक उत्पीड़न - बलात्कार, छेड़छाड़ या अन्य प्रकार के शारीरिक हमले।

मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न- मानसिक दबाव डालकर बालकों का यौन शोषण करना।

3. बाल लैंगिक अपराधों के मुख्य प्रकार:

1. शारीरिक शोषण (Physical abuse):

बच्चे को जबरदस्ती छूना, गलत तरीके से पकड़ना, या उसका शरीर छेड़ना।

2. बलात्कार (Rape):

बच्चे के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। यह सबसे गंभीर अपराध होता है।

3. यौन टिप्पणी या अश्लील बातें (Verbal abuse):

बच्चे के सामने गंदी बातें करना, गालियाँ देना या यौन इशारे करना।

4. अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना (Showing pornographic content):

बच्चे को गंदी फिल्में, तस्वीरें या वीडियो जबरदस्ती दिखाना।

5. ऑनलाइन यौन शोषण (Online abuse):

मोबाइल, सोशल मीडिया या गेमिंग ऐप पर बच्चों से गंदी बातें करना या उनकी फोटो माँगना।

6. बाल तस्करी और वेश्यावृत्ति में धकेलना:

बच्चों को जबरदस्ती उठा ले जाकर गंदे कामों में लगाना या बेच देना।

7. गुप्तांगों को छूना या दिखाना:

किसी का बच्चे के गुप्त अंगों को छूना, या बच्चे को अपने अंग दिखाना।

4. लैंगिक अपराधों के कारण...

1. अश्लील सामग्री का असर:

मोबाइल, इंटरनेट, टीवी या फिल्मों में गंदी चीजें देखकर बच्चे गुमराह हो जाते हैं

2. शिक्षा की कमी:

जब बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी नहीं दी जाती, तो वे पहचान नहीं पाते कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है।

3. माता-पिता का ध्यान न देना:

जब घर में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब बाहर के लोग उन्हें बहका सकते हैं।

4. गलत संगत:

जिन बच्चों की संगत ठीक नहीं होती, वे जल्दी गलत आदतों में पड़ सकते हैं।

5. बड़ों का शोषण:

कई बार घर, स्कूल या पड़ोस में बड़े लोग ही बच्चों का यौन शोषण कर देते हैं।

6. कानूनी जानकारी की कमी:

बच्चों और उनके माता-पिता को ये पता नहीं होता कि ऐसे अपराधों की शिकायत कैसे और कहाँ करनी चाहिए।

7. डर और चुप्पी:

बच्चे डर के कारण किसी को नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ, जिससे अपराधी और हिम्मत पाते हैं।

5. लैंगिक अपराधों के प्रभाव (मानसिक, सामाजिक, शारीरिक)

आत्मविश्वास की कमी - पीड़ित व्यक्ति में आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है।

अवसाद और चिंता– कई मामलों में पीड़ित पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का शिकार हो जाता है।

आत्महत्या की प्रवृत्ति - की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण कुछ पीड़ित आत्महत्या करनेकि कोशिश कर रहे हैं

सामाजिक प्रभाव

लैंगिक अपराधों का प्रभाव समाज की संरचना और पीड़ित के सामाजिक जीवन पर पड़ता है।

सामाजिक बहिष्कार - कई मामलों में पीड़ित को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता।

परिवार पर प्रभाव - पीड़ित के परिवार को भी मानसिक और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

· आर्थिक प्रभाव - पीड़ित व्यक्ति को नौकरी और शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

शारीरिक प्रभाव

लैंगिक अपराधों का प्रभाव पीड़ित के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

शारीरिक चोटें - कई मामलों में पीड़ित को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं।

गर्भधारण और यौन संचारित रोग - बलात्कार के मामलों में पीड़ित को अनचाहे गर्भधारण और यौन संचारित रोगों का सामना करना पड़ सकता है।

दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या - एँ पीड़ित को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

6. समाज की भूमिका...

1. संस्कार और मूल्यों का विकासः परिवार बच्चों को नैतिकता, परंपराओं और सामाजिक व्यवहार सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. शिक्षा और मार्गदर्शनः माता-पिता बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

3. भावनात्मक समर्थनः परिवार कठिन समय में भावनात्मक सहारा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है।

4. सामाजिक संरचनाः परिवार समाज में व्यक्ति की पहचान और सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है।

7. विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी...

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः विद्यालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

2. सुरक्षित और अनुकूल वातावरणः विद्यालय को छात्रों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल प्रदान करना चाहिए।

3. सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल, कला, संगीत और अन्य गतिविधियाँ छात्रों के समग्र विकास में सहायक होती हैं।

4. ज्ञान का प्रभावी संचारः शिक्षक को विषयवस्तु को रोचक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।

5. नैतिकता और अनुशासनः शिक्षक छात्रों को नैतिक मूल्यों और अनुशासन का महत्व समझाने में मदद करते हैं।

6. व्यक्तिगत मार्गदर्शनः प्रत्येक छात्र की क्षमता और रुचि को समझकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है।

8. लैंगिक अपराधों के शिकार बालकों पर प्रभाव...

1. मानसिक चोट (Mental trauma):

बच्चा डर, चिंता और दुःख में डूब जाता है। उसे बार-बार बुरा अनुभव याद आता है।

2. भय और अविश्वास:बच्चे को दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी।

3. पढ़ाई में असर:

बच्चा स्कूल जाने से डरने लगता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता।

4. चुप्पी और अकेलापन:

वह दूसरों से बात करना बंद कर देता है और अकेले रहने लगता है।

5. शारीरिक परेशानी:

कई बार शरीर में चोट लगती है, या स्वास्थ्य बिगड़ता है।

6. नकारात्मक सोच:

बच्चा खुद को ही दोष देने लगता है और दुखी रहता है।

7. भविष्य में असर:

बड़े होकर ऐसे बच्चे अक्सर डरे-सहमे रहते हैं और कई बार डिप्रेशन या आत्महत्या जैसी स्थिति में भी पहुँच जाते हैं।

9. बालकों को जागरूक करने के उपाय

1. अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी देना:

बच्चों को सरल भाषा में यह सिखाना चाहिए कि कौन-सा स्पर्श सही है और कौन-सा गलत।

2. खुले मन से बातचीत:

माता-पिता और शिक्षक बच्चों से प्यार से बात करें, ताकि बच्चा अपने मन की बात बता सके।

3. 'ना' कहना सिखाना:

बच्चों को यह हिम्मत देनी चाहिए कि अगर कोई उन्हें जबरदस्ती छुए या कुछ गलत करे, तो वह साफ़ 'ना' कहें और वहाँ से हट जाएं।

4. जागरूकता कार्यक्रम:

स्कूलों में समय-समय पर सेमिनार, नाटक या वीडियो दिखाकर बच्चों को इन मुद्दों पर जागरूक किया जाए।

5. हेल्पलाइन नंबर सिखाना:

बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) याद कराना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।

6. विश्वास का माहौल बनाना:

बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि वे किसी भी बात को डर के बिना अपने माता-पिता या टीचर से कह सकें।

7. सुरक्षा के नियम सिखाना:

जैसे – अकेले कहीं न जाना, अजनबी से बात न करना, किसी के कहने पर गुप्त अंग न दिखाना।

10. भारत में बाल संरक्षण कानून

भारत में बालकों के संरक्षण हेतु कई कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनमें बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012),जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) और अन्य कानूनी उपाय शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य बालकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और अपराधियों को कठोर दंड देना है।

BNS 2023 के तहत नए प्रावधान

1. धारा 66 - यदि किसी महिला को चोट पहुँचाने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, तो अपराधी को 20 साल से आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है।
2. धारा 67 - यदि कोई व्यक्ति अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा।
3. धारा 68 - यदि कोई सरकारी अधिकारी, जेल अधीक्षक, अस्पताल कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके किसी महिला को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा।

11. लैंगिक अपराधों की रोकथाम और सुधार

- कानूनी सुधार - कठोर दंड और त्वरित न्याय प्रणाली।
- सामाजिक जागरूकता - शिक्षा और जागरूकता अभियान।
- तकनीकी उपाय - साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए डिजिटल सुरक्षा आवश्यक है।

12. निष्कर्ष:

बाल लैंगिक अपराध एक बहुत ही गंभीर और दुखद समस्या है, जो बच्चों के मन, शरीर और भविष्य को गहरा नुकसान पहुँचाती है। ऐसे अपराध बच्चों की मासूमियत को छीन लेते हैं और उन्हें डर, शर्म और अकेलेपन में धकेल देते हैं।

इसका समाधान तभी संभव है जब परिवार, समाज, स्कूल और सरकार सभी मिलकर बच्चों को सुरक्षा, प्यार और सही जानकारी दें। बच्चों को अच्छे-बुरे स्पर्श, आत्म-सुरक्षा और बोलने की हिम्मत सिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही, दोषियों को सख़्त सजा देना भी जरूरी है ताकि कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे।

इसलिए हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की रक्षा करें, उन्हें समझाएं और एक सुरक्षित माहौल दें, जहाँ वे बिना डर के खुलकर जी सकें।